न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
मुकदमा संख्या :– 35 / 2025
जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025 / 116

प्रार्थीया	अप्रार्थीगण
जेतीदेवी पत्नी वरींगाराम, जाति–बिश्नोई, निवासी–मारूखेड़ा(पमाणा), तहसील–सांचौर, जिला–जालोर	गंगाराम पुत्र वरींगाराम वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 25.06.2025

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीया की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक बेनिवाल उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 3 (अ, बस, स, द, य) की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अर्जुन देवासी उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 3 (र) व 4 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 25.02.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वांके मौजा मारूखेड़ा(पमाणा), पटवार हल्का–पमाणा के खेत खसरा नंबर 233, 234, 235, 236 जुमले रकबा 4.47 हैक्टेयर व खसरा संख्या 294, 300, 306, 307, 1218, 1220 जुमले रकबा 11.01 हैक्टेयर जो पुराने खसरा नंबर 221, 264 से सृजित हुए है के आये हुए है। उक्त आराजी प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के संयुक्त परिवार की पुश्तैनी आराजी आई हुई है। मौजा मारूखेड़ा में स्थित प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की पारिवारिक व पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी आराजी का संवत् 2040 के स्व. वरींगाराम के जीते जी उपरोक्त खसरा नंबरान आराजी का मौके पर सहकाश्तकारों की आपसी सहमति से एक मौखिक भाईयों एवं पारिवारिक बंटवाड़ा कर उक्त मौके पर अलग अलग कर कब्जा काश्त प्राप्त कर लिया जो बदस्तूर है माफिक बंटवाड़े खसरा नंबर 306 रकबा 0.010 हैक्टेयर गेर मुमकिन बेरा, खसरा नंबर 307 रकबा 0.02 हैक्टेयर गेर मुमकिन सड़क, खसरा संख्या 308 रकबा 5.10 हैक्टेयर जुमले रकबा 5.13 हैक्टेयर स्व. वरींगा के बंट में यानि प्रार्थीया एक अप्रार्थी गंगाराम के बंट में आई होने से कब्जा काश्त प्रार्थीया एवं अप्रार्थी गंगाराम का संयुक्त कब्जा काश्त का हिस्सा बराबर आया हुआ है। मौजा मारूखेड़ा में स्थित खसरा नंबर 306, 307, 308 जुमले रकबा 5. 13 हैक्टेयर है प्रार्थीया एवं अप्रार्थी गंगाराम के हिस्से एंव बंट में आई होने से प्रार्थीया 1/2 हिस्सा आया होने का प्रार्थीया एवं अप्रार्थी गंगाराम का संयुक्त कब्जा काश्त आया होने से प्रार्थीया का प्रार्थीया के 1/2 हिस्सा भी खातेदारी पाने का अधिकार है। आज से 10 रोज पूर्व

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

प्रार्थीया को बैंक से कृषि लोन हेतु जमाबंदी की आवश्यकता होने पर प्रार्थीया द्वारा हल्का पटवारी से जमाबंदी नकलें प्राप्त करने पर प्रार्थीया को इल्म होने से तहसील कार्यालय से नामान्तरकरण संख्या 99 दिनांक 21.10.2001 की नकल दिनांक 16.06.2025 प्राप्त करने पर इल्म होने पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया का पेश है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद के बहक प्रार्थीया विरूद्व अप्रार्थीगण सादिर फरमावें कि प्रार्थीया के मौजा मारूखेड़ा, पटवार हल्का–पमाणा के खेत खसरा नंबर 306, 307, 308 जुमले रकबा 5.1300 हैक्टेयर पर प्रार्थीया के कब्जे काश्त व रहवास में न तो अप्रार्थीगण संख्या 1 स्वयं व किसी अन्य के द्वार दखलंदाजी नहीं करावें जिस हेतु उक्त आराजी की मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 3 (र) व 4 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि सरहद मौजा मारूखेड़ा, पटवार हल्का–पमाणा के खेत खसरा संख्या 306, 307, 308 रकबा 5.1300 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनायें रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस.**)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सहायक कलेक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **25.02.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सहायक कलेक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर * जिला जालोर * सत्यमेव जयते